न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

प्रार्थना पत्रः बाजदायरी सख्याः 573/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00476)

1. डॉ. भगवान सहाय
2. रामेश्वर प्रसाद (मृतक दिनांक 03.07.2019)
3. रामनारायण पुत्रान गौरीशंकर नाटाणी,
4. श्रीमती रामपती पत्नी श्री गौरीशंकर नाटाणी, समस्त जाति महाजन निवासीगण देवगांव बस्सी हाल निवासी बी–37, दयानन्द पथ जनता कॉलोनी जयपुर राजस्थान।

––प्रर्थीगण

बनाम

1. महेश कुमार पुत्र स्व. श्री शिवप्रसाद (मृतक दौराने अपील)
   1/1. उषादेवी पत्नी स्व. श्री महेश कुमार,
   1/2. सचिन पुत्र स्व. श्री महेश कुमार,
   1/3. विनय पुत्र स्व. श्री महेश कुमार, समस्त जाति महाजन निवासीगण देवगांव बस्सी जिला जयपुर।
2. रूकमणी पत्नी स्व. श्री शिवप्रसाद,
3. रामप्रसाद पुत्र स्व. गणेश नारायण,
4. श्रीमती नारायणी पत्नी स्व. श्री गणेश नारायण समस्त जाति महाजन निवीसगण देवगांव बस्सी जिला जयपुर।

–– रेस्पोडेन्ट्स

5. श्रीमती गीता देवी पुत्री स्व. श्री गौरीशंकर धर्मपत्नी श्री विष्णु किशोर जी कटटा निवासी 825 नया सिरसी हाउस, जाट के कुऐ का रास्ता चांदपोल बाजार, जयपुर।
6. श्रीमती शकुन्तला पुत्री स्व. श्री गौरीशंकर जी पत्नी हंसराज घीया निवासी पहला चौराहा ऑकडो का चौंक गोविन्द नारायण जी का रास्ता चांदपोल बाजार जयपुर।
7. श्रीमती सावित्री पुत्री स्व. गौरीशंकर पत्नी श्री राजेन्द्र गुप्ता जाति महाजन निवासी मकान नम्बर ए–312, टैगोर पब्लिक स्कूल के सामने वैशाली नगर जयपुर राजस्थान

––प्रोफार्मा प्रत्यार्थीगण

निर्णय

दिनांकः 25.10..2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र बाजदायरी न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 06.06.2017 व 02.05.2016 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र बाजदायरी में अंकित किया है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर की अपील संख्या 81/99 महेश कुमार बनाम गौरीशंकर में पारित निर्णय दिनांक 22.01.2003 के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक दिनांक 11.09.2019 को अधिवक्ता अपीलार्थीगण अस्वस्थ्य होने के कारण किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुये और इस कारण से उपरोक्त

P.T.O.

अपील में दिनांक 11.09.2019 को अधिवक्ता अपीलार्थीगण उपस्थित नही हो पाये इस प्रकार अपीलार्थीगण की अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज फरमायी गयी। दिनांक 13.12.019 को अपीलार्थी संख्या 3 ने अधिवक्ता अपीलार्थीगण से सम्पर्क कर अपील की वस्तुस्थिति जाननी चाही तो अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने सहयोगी अधिवक्ता को उपरोक्त अपील की जानकारी कर सत्यापित प्रतिलिपि आदेशिका इत्यादि प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया अधिवक्ता अपीलार्थी के सहयोगी अधिवक्ता ने दिनांक 16.12.2019 को उपरोक्त अपील की आदेशिका की सत्यापित प्रतिलिपि इत्यादि प्राप्त करने हेतु नकल प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान् के कार्यालय में प्रस्तुत दिनांक 22.01.2020 को सत्यप्रतिलिपि अधिवक्ता अपीलार्थी को उपलब्ध करवायी गई तथा सत्य प्रतिलिपि प्राप्त होने पर अधिवक्ता अपीलार्थी को यह जानकारी हुई दिनांक 11.09.2019 को अपीलार्थी अधिवक्ता के अस्वस्थता के कारण हुई अनुपस्थिति के मध्य नजर उपरोक्त अपील संख्या 93/2018 अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई है। अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार फरमाया जाकर बाजदायरी संख्या 318/2016 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2017 तथा मूल अपील में पारित आदेश दिनांक 02.05.2016 अपास्त फरमाया जाकर अपील को गुणावगुण पर सुनवायी किये जाने बाबत आदेश फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र बाजदायरी के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए एवं अपने प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्त्या के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपील संख्या 37/2013 उनवानी डॉ. भगवान सहाय बनाम महेश कुमार व अन्य निर्णय दिनांक 02.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है तथा न्यायालय श्रीमान् का निर्णय दिनांक 02.05.2016 के पूर्व आदेशों की पालना नही करने के आधार पर पारित किया गया आदेश है जो आदेश अदम तकमील आदेश 9 नियम 5 की श्रेणी मे आता है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश–9 नियम 9 व 4 कानूनन पोषणीय नही है। उन्होने यह भी कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् के निर्णय दिनांक 02.05.2016 के विरूद्ध पूर्व में प्रार्थी द्वारा बाजदायरी प्रार्थना पत्र संख्या 318/2018 प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 06.06.2017 को खारिज फरमा दिया गया एवं न्यायालय श्रीमान् के आदेश दिनांक 06.06.2017 के विरूद्ध पुनः प्रार्थना पत्र बाजदायरी संख्या 93/2018 प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 11.09.2019 को खारिज फरमा दिया गया जबकि विधि अनुसार बाजदायरी प्रार्थना पत्र खारिज हो जाने पर पुनः उसके विरूद्ध बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कानूनी प्रावधान ही नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रार्थी उपरोक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से तीन आदेश दिनांक 02.05.2016, 16.06.2017 एवं 11.09.2019 को निरस्त करवाना चाहता है जबकि एक प्रार्थना पत्र से तीन आदेशों को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नही होने के कारण भी निरस्त किये जाने योग्य है। अतः रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त प्रार्थना पत्र बाजदायरी कानूनन पोषणीय नही होने के कारण खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने तथा न्यायालय के आदेशों की पालना नही करने पर न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 02.05.2016 द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की गई तत्पश्चात् मूल अपील पुनः नम्बर पर लेने के आदेश दिनांक 14.03.2018 को हुए है एवं दिनांक 11.09.2019 को अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही होने पर अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई है उसके विरूद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र बाजदायरी पेश की गई है। और इस प्रार्थना पत्र बाजदायरी में भी अपीलान्ट के अधिवक्ता नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित नही हो रहे है जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया जा रहा है तथा अनावश्यक ही न्यायालय का समय व्यर्थ ही किया जा रहा है जो उचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्तियॉ स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाजदायरी खारिज किया जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।